न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 286/2021

यादराम यादव पुत्र स्व0 श्री उमरावसिंह, निवासी ग्राम शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 19.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.12.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 289/2021 पर दिनांक 27.12.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4100—01 दिनांक 27.12.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/21/05 दिनांक 13.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री यादराम यादव पुत्र स्व0 श्री उमरावसिंह निवासी शिमला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय मे दिनांक 26.01.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0/21/518 दिनांक 03.11.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी पत्रांक सू0अ0अ0/21/05 दिनांक 13.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री यादराम यादव पुत्र स्व0 श्री उमरावसिंह निवासी शिमला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय मे दिनांक 26.01.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0/21/518 दिनांक 03.11.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं